

## POCSO अधिनियम

### प्रलिस के लयि:

[POCSO अधिनियम, वर्ष 1992 का बाल अधकारों पर संयुक्त राष्ट्र कनवेंशन, भारतीय दंड संहति, कशिर नयाय \(बच्चों की देखभाल और संरक्षण\) अधिनियम, POCSO नयायालय](#)

### मेन्स के लयि:

POCSO अधिनियम, कार्यानवयन के मुद्दे और आगे की राह

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने [लोकसभा](#) को सूचित किया है कि [यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण \(POCSO\) अधिनियम, 2012](#) बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिये सरकार द्वारा बनाए गए महत्वपूर्ण कानूनों में से एक है।

## POCSO अधिनियम:

### परचिय:

- POCSO अधिनियम 14 नवंबर, 2012 को लागू हुआ, जो वर्ष [1992 में बाल अधकारों पर संयुक्त राष्ट्र कनवेंशन](#) के भारत के अनुसमर्थन के परिणामस्वरूप अधिनियमित किया गया था।
- इस विशेष कानून का उद्देश्य **बच्चों के यौन शोषण और यौन उत्पीड़न के अपराधों** को संबोधित करना है, जिनमें या तो विशेष रूप से परिभाषित नहीं किया गया या पर्याप्त रूप से दंड का प्रावधान नहीं किया गया है।
- यह अधिनियम **18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्तिको बच्चे के रूप में परिभाषित करता है।** अधिनियम अपराध की गंभीरता के अनुसार सजा का प्रावधान करता है।
  - बच्चों के साथ होने वाले ऐसे अपराधों को रोकने के उद्देश्य से **बच्चों के यौन शोषण के मामलों में मृत्युदंड सहित अधिक कठोर दंड का प्रावधान** करने की दशा में **वर्ष 2019 में अधिनियम** की समीक्षा तथा इसमें संशोधन किया गया।
  - भारत सरकार ने **POCSO नयिम, 2020** को भी अधिसूचित कर दिया है।

### वशिषताएँ:

#### लगि-नषिपकष परकृति:

- अधिनियम के अनुसार, लड़के और लड़कियाँ दोनों यौन शोषण के शिकार हो सकते हैं और पीड़ित के लिये की परवाह किये बिना ऐसा दुरव्यवहार एक **अपराध** है।
  - यह इस सदिधांत के अनुरूप है कि **सभी बच्चों को यौन दुरव्यवहार और शोषण से सुरक्षा का अधिकार है** तथा लिये के आधार पर कानूनों को भेदभाव नहीं करना चाहिये।

#### मामलों की रिपोर्टिंग में आसानी:

- न केवल व्यक्तियों द्वारा बल्कि संस्थान भी **अब नाबालगिों के साथ यौन दुरव्यवहार के मामलों की रिपोर्ट करने** के लिये पर्याप्त रूप से जागरूक हैं क्योंकि रिपोर्ट न करना **POCSO अधिनियम के तहत एक वशिषिट अपराध** बना दिया गया है। इससे बच्चों से संबंधित यौन अपराधों को छपाना तुलनात्मक रूप से कठिन है।

#### शर्तों की स्पष्ट परिभाषा:

- बाल पोर्नोग्राफी से संबंधित सामग्री के संग्रहण को **एक नया अपराध** बना दिया गया है।
- इसके अलावा 'यौन उत्पीड़न' के अपराध को [भारतीय दंड संहति](#) में 'महिला की लज्जा भंग करने' की अमूर्त परिभाषा के विपरीत स्पष्ट शब्दों में (बढ़ी हुई न्यूनतम सजा के साथ) परिभाषित किया गया है।

### POCSO नयिम 2020:

#### अंतरिमि मुआवजा और वशिष राहत:

- POCSO नयिमों का नयिम-9 **वशिष अदालत को** FIR दर्ज होने के बाद बच्चे के लिये राहत या पुनर्वास से संबंधित ज़रूरतों हेतु अंतरिमि मुआवजे का **आदेश देने की** अनुमति देता है। यह मुआवजा अंतिमि मुआवजे (यदि कोई हो) के विरुद्ध समायोजित किया जाता है।

- वशिष राहत का तत्काल भुगतान:
  - POCSO नयिमों के अंतर्गत बाल कल्याण समिति (CWC) ज़िला कानूनी सेवा प्राधिकरण (DLSA), ज़िला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) या फंड का उपयोग करके भोजन, कपड़े और परिवहन जैसी आवश्यक ज़रूरतों के लिये तत्काल भुगतान की सफ़ारिश कर सकती है। इसे कश्शोर न्याय अधननननन, 2015 के अंतर्गत बनाए रखा गया।
  - भुगतान CWC की अनुशंसा प्राप्त होने के एक सप्ताह के अंदर कया जाना चाहयि।
- बच्चे के लयि सहायक वयकतः
  - POCSO नयिम CWC को जाँच और परीकषण प्रकुरथि के दौरान बच्चे की सहायता के लयि एक सहायक वयकतः प्रदान करने का अधिकार देता है।
  - सहायता करने वाला वयकतः बच्चे के सर्वोत्तम हतियों को सुनश्चिति करने के लयि ज़मिमेदार है, जसिमें शारीरिक, भावनात्मक एवं मानसक कल्याण, चकितिसा देखभाल, परामरश तथा शकषिा तक पहुँच शामिल है। वह बच्चे एवं उसके माता-पति या अभिभावकों को मामले से संबंघति अदालती कारयवाही और वकिसा के बारे में भी सूचित करेगा।
- नोट: देश में आपराधक कानून (संशोधन) अधननननन, 2018 को आगे बढ़ाते हुए न्याय वभिाग ने अक्टूबर 2019 में देश भर में कुल 1023 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (FTSCs) (389 वशिषिट POCSO अदालतों सहति) की स्थापना के लयि एक केंद्र प्रयोजति योजना प्रारंभ की है।
- 31 मई, 2023 तक देश भर के 29 राज्यों/केंद्रशासति प्रदेशों में 412 वशिषिट POCSO (e-POCSO) न्यायालयों सहति कुल 758 FTSCs कारयरत हैं।

## POCSO अधननननन से जुड़े मुद्दे एवं चुनौतयिः

- जाँच से जुड़ा मुद्दा:
  - पुलसि बल में महिलाओं का कम प्रतननधितिव:
    - POCSO अधननननन में बच्चे के नवास या पसंद के स्थान पर एक महिला उप-नरीकषक द्वारा प्रभावति बच्चे का बयान दर्ज करने का प्रावधान है।
    - ऐसी स्थतियि में जब पुलसि बल में महिलाओं की संखया केवल 10% है, इस प्रावधान का अनुपालन करना वयावहारक रूप से असंभव है, साथ ही कई पुलसि स्टेशनों में तो मुश्कलि से ही महिला कर्मचारी मौजूद हैं।
  - जाँच में कमयिः
    - हालाँकि ऑडयि-वीडयि माध्यमों का उपयोग करके बयान दर्ज करने का प्रावधान है, फरि भीकुछ मामलों में जाँच एवं अपराध के परदृश्यों के संरक्षण को लेकर खामयिँ अभी भी मौजूद हैं।
      - शफी मोहम्मद बनाम हमिाचल प्रदेश राज्य (2018) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कजिघनय अपराधों के मामलों में जाँच अधिकारी का करतव्य है कविह अपराध स्थल की तस्वीर और वीडयिोग्राफी करे, साथ ही उसे साकष्य के रूप में संरक्षति करे।
    - न्यायक मजसिट्रेटों द्वारा कोई परीकषा नहीं:
      - अधननननन का एक अन्य प्रावधान न्यायक मजसिट्रेट द्वारा अभयिोजक के बयान की रकॉर्डगि को अनविरय करता है।
      - हालाँकि ऐसे बयान ज़यादातर मामलों में दर्ज कयि जाते हैं, लेकनि न तोन्यायक मजसिट्रेट को मुकदमे के दौरान पूछताछ के लयि बुलाया जाता है और न ही बयान से मुकरने वालों को दंडति कया जाता है। ऐसे में इस तरह के बयान खारजि हो जाते हैं।
- आयु नरिधारण का मुद्दा:
  - यदयपकशोर अपराधी का आयु नरिधारण कश्शोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधननननन, 2015 द्वारा नरिदेशति है, कश्शोर पीडितियों के लयि POCSO अधननननन के तहत ऐसा कोई प्रावधान मौजूद नहीं है।
    - जरनैल सहि बनाम हरयिाणा राज्य (वर्ष 2013) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कप्रदत्त वैधानक प्रावधान को अपराध के शकिकार हुए कसिी बच्चे के लयि उसकी आयु नरिधारति करने में भी सहयिगी आधार होना चाहयि।
    - हालाँकि कानून में कसिी भी बदलाव या वशिषिट नरिदेशों के अभाव में जाँच अधिकारी अभी भी स्कूल प्रवेश-त्याग रजसिट्र मैर्रज जन्मतथि पर ही भरिसा बनाए हुए हैं।
- आरोप-पत्र दाखलि करने में देरी:
  - POCSO अधननननन के अनुसार, अधननननन के तहत दर्ज मामले की जाँच अपराध होने या अपराध की रपिरटगि की तथि से एक माह की अवध के भीतर करना आवश्यक है।
  - हालाँकि वयावहारक रूप से पर्याप्त संसाधनों की कमी, फोरेंसक साकष्य प्राप्त करने में देरी या मामले की जटलिता जैसे वभिन्न कारणों से जाँच पूरी होने में प्रायः एक माह से अधिक का समय लगता है।
- हालयिा यौन संबंघ को साबति करने के लयि शरत आरोपति नहीं:
  - न्यायालयों को यह वचिार करने की आवश्यकता होती है कअभयिकत ने POCSO अधननननन के तहत अपराध कया है।
  - भारतीय साकष्य अधननननन (जहाँ अभयिोजन पकष को साबति करना होता है कहाल में यौन संबंघ बना और इसमें पीडिति की सहमतशिामलि थी) के वपिरित POCSO अधननननन अभयिोजन पकष पर कोई शरत आरोपति नहीं करता है।
  - हालाँकि यह देखा गया है कपीडिति/पीडिति के नाबालगि साबति होने के बाद भी न्यायालय द्वारा सुनवाई के दौरान ऐसे कसिी अनुमान पर वचिार नहीं कया जाता है।
    - ऐसे परदृश्यों में दोषसदधि दर में अपेक्षति वृद्धि होने की संभावना नहीं है।

## प्रमुख संबंधित पहलें

- बाल दुरव्यवहार रोकथाम और अनुवेषण इकाई
- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
- कश्मिर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015
- बाल विवाह निषिद्ध अधिनियम (वर्ष 2006)
- बाल शर्म निषिद्ध और वनियिमन अधिनियम, 2016
- विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों के तहत POCSO अदालतें

## आगे की राह

- सरकार को POCSO संबंधी मामलों में **जाँच एजेंसियों को धन और कर्मियों जैसे पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने** चाहिये। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि मामले की जाँच समयबद्ध और कुशल तरीके से की जाए।
- POCSO मामलों का प्रबंधन करने वाले **जाँच अधिकारियों को उचित प्रशिक्षण प्रदान किया** जाना चाहिये। इसमें साक्ष्य एकत्र करने एवं संरक्षण करने, बाल पीड़ितों तथा गवाहों के बयान लेने और POCSO अधिनियम की कानूनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु **उचित तकनीकों पर प्रशिक्षण प्रदान** करना शामिल हो सकता है।
- POCSO मामलों के लिये विशेष न्यायालयों की स्थापना से मामलों का नपिटारा त्वरित गति और कुशलता से सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है। इससे सुनवाई की प्रक्रिया में तेज़ी लाने में भी मदद मिलेगी, जो पीड़ित एवं उसके परिवार के लिये महत्वपूर्ण हो सकता है।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. राष्ट्रीय बाल नीतिके मुख्य प्रावधानों का परीक्षण कीजिये तथा इसके कार्यान्वयन की स्थिति पर प्रकाश डालिये। (2016)

स्रोत: पी.आई.बी.

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/pocso-act-3>